

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228524  
SG-DL-E-28072021-228524

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 102
No. 204]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SRAVANA 6, 1943	[N. C. T. D. No. 102

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय  
अधिसूचना  
दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

सं.एफ.1/55/गु.चु.नि./2016/4628.—क्रमशः दिनांक 31-03-2021, 23-04-2021 और 29-06-2021 के अधिसूचना संख्या एफ.1/55/डीजीई/2016/3149, संख्या एफ.1/55/डीजीई/2016/3990, संख्या एफ.1/55/डीजीई/2016/4356 के क्रम में और दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वां) की धारा 3 के अंतर्गत जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का चुनाव) नियमावली, 1974 के नियम 11 के सहित पठित के अनुसरण में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के वार्ड सं. 45, खुरेजी खास के सिख मतदाताओं को उनके सम्बंधित गुरुद्वारा वार्ड से सदस्य का चुनाव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन दिनांक 28 जुलाई, 2021 (बुधवार) से प्रारम्भ होगा। चुनाव प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 (मंगलवार) तक या उससे पहले पूरी कर ली जाएगी।

आदेश से तथा उपराज्यपाल,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से,  
संजीव खिरवार, प्र. सचिव (राजस्व/ गुरुद्वारा चुनाव)

**DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS****NOTIFICATION**

Delhi, the 28th July, 2021

**No. F.1/55/DGE/2016/4628.**— In continuation to Notification No. F.1/55/DGE/2016/3149, No. F.1/55/DGE/2016/3990, No. F.1/55/DGE/2016/RO(45)/4356 dated 31-03-2021, 23-04-2021 and 29-06-2021 respectively and in pursuance of Section 3 of Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 11 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974, Lt. Governor, Delhi hereby calls upon the Sikh Electors of Ward No. 45, Khureji Khas of National Capital Territory of Delhi to elect member of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in respect of their Gurdwara Ward. The nomination shall start with effect from 28th July, 2021 (Wednesday). The election process shall be completed on or before 31st August, 2021 (Tuesday).

For and on behalf of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR , Pr. Secy. ( Revenue / G.E.)